

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
मुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
बी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2002—आषाढ़ 7, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-51/2002/वाक (पं)/पांच (75).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1939 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो कि उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में—

1. नियम 19 में खंड ड के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाय—

(ण) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ख) के उपबंधों के अधीन कृषि/व्यपवर्तित भूमि के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी राजस्व अधिकारी या संबंधित हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित बी-1, खसरा पांचसाला की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है.

2. नियम 35 खंड (ड 5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाय—

(ड 6) यह कि कृषि/व्यपवर्तित भूमि के लिए बी-1, खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रति से साथ प्रस्तुत करने हेतु, नियम 19 के खण्ड (आई) के अधीन वापस किया गया दस्तावेज, उसके बिना पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव।

रायपुर, दिनांक 27 जून 2002

क्रमांक एफ-10-51/2002/वाक (पं)/पांच (75)।—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-51/2002/वाक (पं)/पांच (75), दिनांक 27 जून, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव।

Raipur, the 27th June 2002

NOTIFICATION

No. F-10-51/2002/CT. (R)/V(75).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Registration Rules, 1939 as the same have been approved by the State Government under Section (2) of the said section, namely :—

AMENDMENT

In the said sub rule—

1. In rule 19, after clause (n), following clause shall be inserted—

(O) A document for Agricultural/Diverted Land required to be registered under the provision of clause (a) to (e) of Sub-section (1) of Section 17 of Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) is not submitted along with the copy of B-1 and Khasara Panch sala Certified by an authorised revenue officer or concerning Halka Patwari.

2. In rule 35, after clause (e. 5), the following clause shall be inserted—

(e. 6) That the document for Agricultural/Diverted Land returned for submitting with a certified copy of B-1, and Khasara Panchsala is again submitted without the same.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग)

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27 जून, 2002

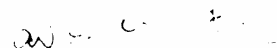
क्रमांक एफ 10-51 / 2002 / वाक(पं)/ पांच (75) -- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1939 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो कि उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, अर्थात् -

संशोधन

उक्त नियम में -

1. नियम 19 में खंड ड के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाय -
 - (ण) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ड) के उपबंधों के अधीन कृषि/व्यपवर्तित भूमि के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी राजस्व अधिकारी या संबंधित हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित बी-1, खसरा पांच साला की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. नियम 35 खंड (ड 5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाय -
 - (ड 6) यह कि कृषि /व्यपवर्तित भूमि के लिए बी-1, खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रति से साथ प्रस्तुत करने हेतु, नियम 19 के खण्ड (आई) के अधीन वापस किया गया दस्तावेज, उसके बिना पुनः प्रस्तुत किया जाता है।
यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

(2)

रायपुर, दिनांक 27 जून, 2002

क्रमांक एफ 10-51 / 2002 / वाक(पं)/ पांच -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-51/2002/वाक (पं)/पांच (75) दिनांक 27 जून, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

Finance and Planning Department
(Commercial Tax (Registration) Deptt.)

Mantralaya

Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 27 June, 2002

No. F 10 -51 / 2002 / C.T (R) / V / (75) - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 69 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Registration Rules, 1939 as the same have been approved by the State Government under section (2) of the said section, namely :-

Amendment

In the said sub rule -

1. In rule 19, after clause (n), following clause shall be inserted -

(O) A document for Agricultural / Diverted Land required to be registered under the provision of clause (a) to (e) of Sub-Section (1) of section 17 of Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) is not Submitted along with the copy of B-1 and Khasara PanchSala Certified by an authorised revenue officer or concerning Halka Patwari.

2. In rule 35, after clause (e.5), the following clause shall be inserted -

(e.6) That the document for Agricultural / Diverted Land returned for submitting with a certified copy of B-1, and Khasara Panchsala is again submitted without the same.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(K R Mishra)

Joint Secy.